भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2072

(12 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि दर

2072. श्री दिग्विजय सिंह:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2016 से भारत में ग्रामीण मजदूरी की वर्ष-वार वृद्धि दर कितनी-कितनी है;
(ख) क्या वर्ष 2016 से ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि दर में गिरावट आई है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गिरावट के कारणों की जांच कराई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो 20 राज्यों में निर्धारित किए गए कुल 600 गांवों से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के क्षेत्रीय संकाय प्रभाग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर चयनित कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों के संबंध में औसत मजदूरी दर □ाटा का संकलन और रखरखाव करता रहा है।

गैर-कृषि श्रमिकों के संबंध में वर्ष 2016 से 2020 के लिए औसत मजदूरी दर निम्नानुसार दी गई है:

गैर-कृषि श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत दैनिक मजदूरी दर		
वर्ष	**मजदूरी दर**	**वृद्धि दर**
2016	257.95	4.51
2017	271.17	5.13
2018	282.04	4.01
2019	291.87	3.49
2020 (नवम्बर, 2020 तक*)	310.19	6.28

(* महामारी के कारण माह अप्रैल, 2020 के लिए □ाटा संकलित नहीं किया गया; इसलिए वर्ष 2020 के लिए गणना 11 महीनों के औसत के आधार पर है)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित कृषि श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक रूप से मजदूरी दरें संशोधित की जाती हैं। मजदूरी दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लागू की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मजदूरी दरों को 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दरों को दर्शाने वाली एक सारणी **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध-।

राज्य सभा में दिनांक 12.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 2072 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राज्य-वार मजदूरी दरें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	211	237
2	अरुणाचल प्रदेश	192	205
3	असम	193	213
4	बिहार	171	194
5	छत्तीसगढ	176	190
6	गुजरात	199	224
7	हरियाणा	284	309
8	हिमाचल प्रदेश - गैर अनुसूचित क्षेत्र	185	198
8क	हिमाचल प्रदेश - अनुसूचित क्षेत्र	231	248
9	जम्मू और कश्मीर	189	204
10	लद्दाख	-	204
11	झारखं□	171	194
12	कर्नाटक	249	275
13	केरल	271	291
14	मध्य प्रदेश	176	190
15	महाराष्ट्र	206	238
16	मणिपुर	219	238
17	मेघालय	187	203
18	मिजोरम	211	225
19	नागालैं□	192	205
20	ओ□शा	188	207
21	पंजाब	241	263
22	राजस्थान	199	220
23	सिक्किम	192	205
23क	सिक्किम (3 ग्राम पंचायत अर्थात् नाथंग, लाचुंग, लाचेन)	-	308
24	तमिलना□	229	256
25	त्रिपुरा	192	205
26	उत्तर प्रदेश	182	201
27	उत्तराखं□	182	201
28	पश्चिम बंगाल	191	204
29	गोवा	254	280
30a	अं□मान	250	267
30b	निकोबार	264	282
31	दादर और नगर हवेली	224	258
32	दमण और दीव	202	227
33	लक्षद्वीप	248	266
34	पुदुचेरी	229	256
35	तेलंगाना	211	237